

दीवानी अपील क्रमांक-1.ए/2016

**-:: न्यायालय : जिला न्यायाधीश, अलीराजपुर (म0प्र0) ::-**

(पीठासीन अधिकारी-राजेन्द्र कुमार वर्मा)

दीवानी अपील क्रमांक-1.ए/2016

(संस्थित दिनांक-04.01.2016)

1. जोगलाल पिता मोहन माली आयु 65 वर्ष पेशा-कृषि कार्य  
निवासीग्राम-नानपुर, तहसील व जिला-अलीराजपुर(म.प्र.)
2. भारत पिता जोगलाल माली उम्र 48 वर्ष पेशा-व्यवसाय  
निवासीग्राम-नानपुर, तहसील व जिला अलीराजपुर(म.प्र.)
3. मागु पति भारत माली आयु 41 वर्ष पेशा-गृहकार्य  
निवासीग्राम-नानपुर, तहसील व जिला-अलीराजपुर(म.प्र.)

.....अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण

**विरुद्ध**

1. मुकेश कुमार पिता सीताराम वाणी आयु 42 वर्ष पेशा-  
व्यापार व साहूकारी, निवासीग्राम-नानपुर, तहसील व  
अलीराजपुर (म.प्र.) .....प्रत्यर्थी/वादी
2. सचिव, ग्राम पंचायत नानपुर, तहसील व जिला  
अलीराजपुर(म.प्र.) .....प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क.4

-----  
अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा :--श्री श्रीकांत बाहेती, अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी/वादी क.1 द्वारा :--श्री पी.सी.जैन, अधिवक्ता।  
प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क.4 :--पूर्व से एकपक्षीय।  
-----

**-//निर्णय//--**

(आज दिनांक 26 अगस्त सन् 2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया)

1- धारा 96 सी.पी.सी. के अधीन अपीलार्थीगण/प्रतिवादी क.1 लगायत 3 ने यह व्यवहार अपील न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, अलीराजपुर (श्री पुंजिया बारिया) के व्यवहार वाद क्रमांक 25 ए/2014 में पारित निर्णय व आज्ञाप्ति दिनांक 29.09.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की हैं, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी क.1/वादी का वाद वास्ते स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं कब्जा वापसी हेतु वाद आज्ञाप्त किया गया।

2- अपील के निराकरण हेतु प्रकरण के तथ्य यह है कि प्रत्यर्थी क.1/वादी का मामला रहा कि ग्राम नानपुर, तहसील व जिला अलीराजपुर स्थित बस स्टेण्ड रोड़ पर 40 फिट लंबी पूरब-पश्चिम और 15 फिट उत्तर-दक्षिण स्थित भूमि पर वादी का कच्चा टपरा बना है, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत नानपुर द्वारा वादी को दिया गया था, जिस पर वर्ष 1998-99 से वादी टप्पर बनाकर रह रहा हैं, जिसकी चर्तुसीमा पूरब में रोड़, पश्चिम में सेकड़िया का मकान, उत्तर में गली, दक्षिण में जोगा माली का मकान है। वादी की जमीन के पश्चात प्रतिवादीगण/ अपीलार्थीगण शासकीय जमीन पर टप्पर बनाकर कब्जा कर रखा हैं और उस टप्पर को तोड़कर अपीलार्थीगण पक्का मकान बना रहे हैं। दिनांक 09.05.13 को अपीलार्थीगण ने वादी का टप्पर तोड़ने की कोशिश की और भयभीत कर वादी को उसके टपरे से भगा दिया, प्रतिवादीगण झोपड़े व जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस ने घटना की

रिपोर्ट लिखने से इंकार कर जमीन का मामला होने से कोर्ट में कार्यवाही करने के लिए कहा। दिनांक 09.05.13 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी से झगड़ा करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ। दौराने विचारण वादी द्वारा दावे में संशोधन किया गया कि वादी के स्वत्व व आधिपत्य के भू-खण्ड में प्रतिवादीगण ने 7 X 40 फिट पर अवैध निर्माण कर पक्का निर्माण किया हैं। वादी के विरोध के बावजूद प्रतिवादीगण ने निर्माण कार्य नहीं रोका। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत नानपुर की अनुमति अवैधानिक है।

3- अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने वादी के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए व्यक्त किया गया कि प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों के समय से बने हुए टपरे के स्थान पर ग्राम पंचायत नानपुर की अनुमति लेकर व निर्माण शुल्क जमा करके अपना दो मंजिला पक्का मकान बना लिया हैं। प्रतिवादीगण के मकान से इस दावे का कोई सरोकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण ने कोई अवैध निर्माण नहीं किया हैं। पूर्व मुकदमा दिवानी प्रकरण क्रमांक 129ए/2001 में वादी ने पूरी मुस्तैदी से वकील करके प्रतिवादी क.1 से लड़ा एवं इस मुकदमे की प्रस्तुति दिनांक 27.11.2000 होकर इसके पूर्व मुकदमा नम्बर 60ए/2000 दर्ज रहा। वादी ने पूर्व के दावे को लगभग 5 साल तक लड़ा व दिनांक 06.09.2005 को अनुपस्थिति में आदेश 9 नियम 8 सी.पी.सी. के अधीन वाद खारिज हुआ और वादी ने उक्त वाद आज तक पुनः स्थापित नहीं कराया है और उसी विषय-वस्तु को लेकर पुनः वादी प्रस्तुत किया है, जो प्रचलन योग्य नहीं हैं। प्रतिवादीगण ने वादी का न तो टप्पर तोड़ने की कोशिश की है और न ही जान से खत्म करने की धमकी दी और न ही उसे धमकाया और न ही वादी का पुलिस में जाने का प्रश्न उत्पन्न होता हैं। वादी के स्वत्व की न तो जमीन है, न ही टप्पर है, अतः उसे तोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

4- अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की विशेष आपत्ति के अनुसार ग्राम पंचायत नानपुर को शासकीय जमीन का पट्टा देने का कोई अधिकार नहीं है, भूमि शासकीय है, जिसे शासन के अनुमोदन से ही धारा 244 भू-राजस्व संहिता के अधीन भी कार्यवाही की जा सकती हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत नानपुर आवश्यक पक्षकार हैं और यदि इसने पट्टे जारी किये हैं, उससे सहायता मांगे बिना वादी का वाद प्रचलन योग्य नहीं हैं। विशेष आपत्ति के अनुसार धारा 244 भू-राजस्व संहिता के अधीन एस. डी.ओ. पट्टे जारी कर सकता है, वह भी भूमिहीन व्यक्ति को जिसके पास न तो जमीन है और न ही मकान है, उनको ही पात्रता के अनुसार पट्टे दिये जा सकते हैं। वादी एक मालदार उच्च समाज का व्यापारी होकर उसका ग्राम नानपुर में बड़ा भारी मकान हैं और वह जमीन पाने का पात्र नहीं हैं, उसके द्वारा गुपचुप रूप से सरपंच व सचिव से मिलकर दबाव में नाजायज रूप से बिना विज्ञप्ति व निलामी की कार्यवाही के व बिना प्रावधानों का पालन किये, जो पट्टा लिया है, वह अवैध हैं। पट्टा न तो उचित स्टाम्प पर है, फलतः साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इसी पट्टे के आधार पर पूर्व में प्रस्तुत दिवानी प्रकरण क्रमांक 129ए/01 दिनांक 06.09.2005 को वादी की अनुपस्थिति में निरस्त हो चुका हैं। इस पट्टे में न तो सर्वे नम्बर है, न ही प्रीमीयम राशि तत्काल जमा हुई हैं, न ही कब्जा दिया गया हैं, वादी भूमिहीन भी नहीं है और न ही पट्टे के संबंध में ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित किया गया हैं। उक्त सभी आधारों पर दावा निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई हैं।

5- वादी द्वारा प्रतिवादी क.4/प्रत्यर्थी क.2 को औपचारिक पक्षकार बनाना व्यक्त किया गया और उसके विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं मांगा गया।

6— अपील के आधार यह है कि आलोच्य निर्णय एवं आज्ञाप्ति अवैध होकर निरसन योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अभिवचनों के अनुरूप वाद विषय विरचित नहीं किये तथा वाद विषय विरचित किये जाने के पूर्व दस्तावेजों का परीक्षण नहीं किया गया, इस कारण अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण पूर्वाग्रह ग्रस्त हुए हैं और अपनी साक्ष्य नहीं दे सके हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण ने अतिरिक्त वाद विषय अथवा पूर्व में विरचित वाद विषय में संशोधन करने हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन निरस्त कर दिया।

7— अपीलार्थीगण के अनुसार वाद विषय क्रमांक-6 की रचना त्रुटीपूर्ण की गई हैं। यह वाद विषय आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. से संबंधित है, न कि धारा 11 सी.पी.सी. से इसका संबंध आता है। वादी का पूर्व का दावा व्यवहार वाद क्रमांक 129ए/2001, आदेश 9 नियम 8 सी.पी.सी. के अधीन खारिज हुआ था, अतः वादी को खारिजी आदेश को सेट-असाईट करवाना चाहिए था और इस व्यतिक्रम के कारण यह दावा बाधित हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 11 सी.पी.सी. के तहत पूर्व दावे का विचारण करके कानूनी त्रुटि कारित की है, जबकि प्रतिवादीगण का अभिवचन आदेश 9 नियम 8 सी.पी.सी. में खारिज आदेश होने से उसका उपचार या तो आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. के तहत दावे को पुनः संस्थित करने के लिए तथा आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन अथवा रिवीजन पेश करना था, किन्तु ऐसा न कर नया दावा पेश किया गया, जो कि बाधित हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं भ्रांति की स्थिति में होकर मिथ्या धारणा के कारण अवैधानिक निष्कर्ष निकाला है।

8— अपील का यह भी आधार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद विषय क्रमांक-1 के निष्कर्ष में प्र.पी.-1 को पट्टा मानकर वैधानिक त्रुटि कारित की है, जबकि प्र.पी.-1 पट्टा न होकर सिर्फ प्रमाण पत्र हैं, वह भी न्यायालय तहसीलदार के द्वारा जारी किया होना दर्शाया गया है, लेकिन न तो उस पर तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं और न ही सील लगी है, यह दस्तावेज कूटरचित होकर बनावटी दस्तावेज पंचायत के द्वारा कथित रूप से दिया जाना बताया गया है, जबकि इस संबंध में न तो ग्राम पंचायत नानपुर का रिकार्ड तलब किया गया, न ही दस्तावेज को साबित किया गया। यह प्रारूप दिनांक 28.04.99 को जारी किया जाना दर्शित है, जबकि रसीद 1500 रुपये की दिनांक 22.05.99 को जारी की गई है, जिस पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं हैं, सिर्फ ग्राम सहायक की सील व हस्ताक्षर हैं, अतः कोई भी अर्धशासकीय संस्था बिना राशि जमा किये एडवान्स में कोई भी दाखिला या प्रारूप जारी नहीं कर सकती। रसीद पर सचिव या लेखापाल के भी हस्ताक्षर नहीं हैं, दोनों दस्तावेज कूटरचित व बनावटी हैं व इन्हें पंचायत का रिकार्ड तलब करके साबित नहीं किया गया है।

9— अपीलार्थीगण के अनुसार उक्त कारणों से इन दस्तावेजों को न तो पढ़ा जा सकता है और न ही इन पर भरोसा किया जा सकता है, यह स्वयं वादी को सिद्ध करना था, प्रतिवादी की कमजोरी का लाभ वादी नहीं उठा सकता है। वाद विषय क्रमांक-1 को साबित करने का भार वादी पर था, किन्तु तथ्य साबित नहीं करना बताया, जो कि त्रुटीपूर्ण है। वादी ने प्र.पी.-3 दावे के साथ प्रस्तुत नहीं किया या कब पेश किया गया, इसकी कोई नकल नहीं दी गई, कथित रसीद भवन कर की होना बताया गया है, किन्तु नामांतरण पंचायत में भवन कर रजिस्टर में दर्ज होता तो वादी ग्राम पंचायत नानपुर का भवन कर का रजिस्टर पेश करना, ऐसा भी



बिना आज्ञाप्ति का नामांतरण करना भी संभव नहीं है, अतः यह रसीद भी कूट रचित हैं। यदि वादी भवन कर जमा करवाता तो बाद के वर्ष की रसीदे वादी ने दावा करने के समय तक 15 वर्ष की क्यों पेश नहीं की, इसका कोई कारण वादी ने नहीं दर्शाया है।

10- अपीलार्थी के अनुसार वाद विषय क्रमांक-2 को आंशिक प्रमाणित व वाद विषय क्रमांक-4 को प्रमाणित मानने में तथ्यात्मक व वैधानिक त्रुटि कारित की हैं। प्र. पी.-1 के दस्तावेज की जमीन को न तो ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया और न ही ऐसी कोई रसीद वादी द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। प्र.पी.-1 में दर्शित जमीन पर 7.5 X 40 फिट पर प्रतिवादीगण के मकान के पास में प्रतिवादीगण का झोपड़ा ढोर बांधने का पूर्व से बना हुआ है, जिसमें वह अपने मवेशी बांधता है, जिसमें वादी को कब्जा मिलता तो निश्चित ही वह मकान बनाने की अनुमति ग्राम पंचायत नानपुर से लेता व मकान का निर्माण करता, किन्तु वादी के द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई, वैसे भी मौके पर 15 X 40 स्थित भूमि ही नहीं थी, क्योंकि उस जमीन पर प्रतिवादी के मकान के पास झोपड़े 7.5 X 40 फिट पर बना हुआ था व उसके बाजु में उत्तर दिशा में 7 फिट की जमीन पर कोई निर्माण वादी का नहीं है, खुली जमीन है व बाद में गली है, लेकिन वर्तमान में पंचायत ने झोपड़े के बाद 15 फिट का पक्का रोड विचारण के दौरान बनाया, इस कारण वादी, प्रतिवादीगण के बने हुए मकान में अवैधानिक रूप से घुसना चाहता है और पंचायत को रास्ता बनाते देख वादी ने अपने दावे में संशोधन किया और अवैधानिक रूप से अपनी जमीन बता रहा है, जबकि वादी का न तो कभी जमीन पर कब्जा रहा, न ही मकान बनाया व न ही उसमें कभी रहा, क्योंकि वादी के ग्राम नानपुर में पक्के मकान बने हुए हैं।

11- अपील का यह भी आधार है कि ग्राम पंचायत जमीन भूमिहीन को ही एस.डी.ओ. रेवेन्यू के अनुमोदन से अलाट करती है तथा प्रथम वरियता आदिवासी भूमिहीन को है, सेठ-साहूकारों को व जिनके मकान है, जमीन आवास के लिए अलाट नहीं की जाती है। 8 X 40 फिट झोपड़ी वादी के स्वत्व की होने का निष्कर्ष निकालकर गंभीर त्रुटि कारित की है। वादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा किया गया होता तो वादी द्वारा उसकी रिपोर्ट की जाती और वह चुप नहीं बैठता, बल्कि पूर्व के दावे में इस संबंध में पूरा विवरण दर्शित है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भू-खण्ड पर 7 X 40 फिट भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करने का गलत निष्कर्ष निकाला है। वाद विषय क्रमांक-7 व 8 में भी गलत निष्कर्ष निकाला है तथा कब्जे का मूल्यांकन बहुत कम किया है तथा धारा 106 पंचायत विधान को अनदेखा किया है। उक्त सभी आधारों पर अपील स्वीकार कर आलोच्य निर्णय अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है।

12- मेरे समक्ष विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

1. क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद विषय क्रमांक-6 का निष्कर्ष धारा 11 सी.पी.सी. के अधीन भ्रांतिपूर्ण तरीके से निकालकर वैधानिक त्रुटि कारित की है ?
2. क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद भूमि का वादी को स्वामी प्रमाणित पाकर त्रुटि कारित की ?

3. क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध निर्माण किया जाना और वादी को निर्माण कार्य से हटाकर रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने की पात्रता पाकर त्रुटि कारित की है ?
4. अनुतोष एवं व्यय ?

**::-सकारण निष्कर्ष-:-**

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1**

13- तर्कों पर विचार किया। अभिलेख का अवलोकन किया। आगे विचार किये जाने के पूर्व आदेश 9 नियम 8 सी.पी.सी. व आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. को उद्धृत किया जाना समीचीन होगा:-

8. जहां केवल प्रतिवादी उपसंजात होता है, वहां प्रक्रिया--- जहां वादी की सुनवाई के लिए पुकार होने पर प्रतिवादी उपसंजात होता है और वादी उपसंजात नहीं होता है, वहां न्यायालय यह आदेश करेगा कि वाद को खारिज किया जाए। किन्तु यदि प्रतिवादी दावे या उसके भाग को स्वीकार कर लेता है, तो न्यायालय ऐसी स्वीकृति पर प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री पारित करेगा और जहां दावे का केवल भाग ही स्वीकार किया गया हो, वहां वह वाद को वहां तक खारिज करेगा, जहां तक उसका संबंध अवशिष्ट दावे से हैं।

\*9. व्यक्तिगत के कारण वादी के विरुद्ध पारित डिक्री नए वाद का वर्जन करती है---(1) जहां वाद नियम 8 के अधीन पूर्णतः या भागतः खारिज कर दिया जाता है, वहां वादी उसी वाद हेतुक के लिए नया वाद लाने से प्रवारित हो जाएगा। किन्तु वह खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि जब वाद की सुनवाई के लिए पुकार पड़ी थी, उस समय उसकी उपसंजाति के लिए पर्याप्त हेतुक था, तो न्यायालय खर्चों या अन्य बातों के बारे में ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, खारिजी को अपास्त करने का आदेश करेगा और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा।

(2) इस नियम के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि आवेदन की सूचना की तामीली विरोधी पक्षकार पर न कर दी गई हो।

14- प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण का यह अभिवचन रहा कि वादी/प्रत्यर्थी क्र.1 का पूर्व व्यवहार वाद क्रमांक 129ए/2001 दिनांक 06.09.05 को आदेश 9 नियम 8 सी.पी.सी. के अधीन निरस्त हुआ था, किन्तु उक्त आदेश को अपास्त किये जाने अर्थात् वाद को पुनः स्थापित किये जाने के लिए वादी ने कोई कार्यवाही नहीं की, फलतः उसी विषय-वस्तु को लेकर वर्तमान वाद आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. से बाधित है और प्रचलन योग्य नहीं हैं।

15- (वा.सा.1) स्वयं वादी मुकेश ने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा दिनांक 27.11.2000 को प्रस्तुत वाद प्र.डी.-1 (वादपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि) हैं, इस बात को गलत बताता है कि उसने उक्त दावे की सहायता पैरा 13-ब में प्रतिवादीगण द्वारा वादी के उक्त प्लॉट में जो अतिचारी बनकर अतिक्रमण करके दोषपूर्ण आधिपत्य कर कच्चा टप्पर बना लिया है, उस दोषपूर्ण आधिपत्य को हटाकर उसका कब्जा वादी को सुपुर्द किये जाने का आदेश प्रदान करने के संबंध में लिखाया है और स्वयं कहता है कि केवल 7 फिट की जमीन के संबंध में लिखाया था। यह भी स्वीकार करता है कि प्र.डी.-1 का दावा प्रस्तुत करने के पहले उसने पढ़ने के बाद हस्ताक्षर किये थे।

16— प्रतिवादी साक्ष्य में प्र.डी.-1 का दावा (वादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वादपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि) प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 27.11.2000 को प्रस्तुत इस वादपत्र में भी वादी ने प्रतिवादी जोगलाल द्वारा वादग्रस्त प्लॉट पर आधिपत्य करने की नीयत से कच्चा टपरा बना लेने का अभिवचन करते हुए, वादग्रस्त प्लॉट का स्वयं को स्वामी घोषित होने और वादग्रस्त प्लॉट का रिक्त आधिपत्य प्रतिवादी से दिलवाये जाने की प्रार्थना की गई है। वर्तमान वाद में भी वादी ने वादग्रस्त प्लॉट पर स्वयं के स्वत्व घोषणा एवं वादग्रस्त प्लॉट 7 X 40 फिट पर प्रतिवादी के अवैध निर्माण को तुड़वाकर रिक्त आधिपत्य दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है। दोनों ही वाद में विषय-वस्तु एक ही है और अनुतोष भी समान ही चाहा गया है। केवल पूर्व के वाद में आधिपत्य पूरे प्लॉट पर करना बताया था और वर्तमान वाद में प्लॉट के एक हिस्से पर आधिपत्य करना बताया गया।

17— विद्वान विचारण न्यायालय ने आलोच्य निर्णय की कंडिका क्रमांक-24, 25, 26, 27 व 28 में वाद विषय क्रमांक-6 के संबंध में विचार किया और धारा 11 सी.पी.सी. की परिधि में नहीं आना बताते हुए, वाद विषय नकारात्मक रूप से विरचित किया। निश्चय ही विद्वान विचारण न्यायालय का निष्कर्ष पूर्णतया त्रुटिपूर्ण और विधि विरुद्ध है, क्योंकि जहां आदेश 9 नियम 8 सी.पी.सी. के अधीन वाद निरस्त किया गया है, वहां धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधान आकर्षित नहीं होंगे, बल्कि पश्चातवर्ती वाद के संबंध में आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. के प्रावधान लागू होंगे, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. के प्रावधानों पर कोई गौर नहीं किया। आदेश 9 नियम 8 सी.पी.सी. के अधीन पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी.-4 प्रतिवादी साक्ष्य में प्रस्तुत की गई और अभिलेख पर है। आदेश 9 नियम 8 सी.पी.सी. के अधीन आदेश पारित होने के पश्चात वादी के पास एक ही उपचार था कि वह आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. के अधीन वाद पुनः स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही करे, उसी वाद हेतुक पर पुनः वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

18— निश्चय ही प्रस्तुत वाद में वाद कारण दिनांक 09.05.2013 को उत्पन्न होना बताया गया है, जब प्रतिवादीगण ने वादी को जान से मारने की धमकी दी और पूर्व के वाद में वाद कारण प्रतिवादी द्वारा प्लॉट पर अतिचारी बनकर दोषपूर्ण आधिपत्य करने और उसका वादी को ज्ञान होने से किया और इसकी जानकारी जून 1999 में होना बताया गया है। पूर्व में अतिक्रमण पूरे प्लॉट पर किया गया, बताया गया था, अतिक्रमण कब हटा लिया गया, इस संबंध में वादी/प्रत्यर्थी क्र.1 मौन हैं तथा पूर्व में वाद प्रस्तुत किये जाने के संबंध में वादी वर्तमान वाद में कोई अभिवचन भी नहीं करता। निश्चय ही यदि पूर्व में अतिक्रमण कर लिया गया था और पुनः कब्जा करने की धमकी देने और अतिक्रमण कर लेने और रिक्त आधिपत्य दिलाये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया जाता है तो वादी को यह बताना होगा कि पूर्व में अतिक्रमण किया गया था, वह अतिक्रमण कब हटा लिया गया।

19— प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण ने न्याय दृष्टांत करुणा चतुर्वेदी एवं अन्य विरुद्ध सरोजनी अग्रवाल एवं अन्य 2010 (1) एम.पी.एल.जे. 90 पर निर्भर किया है, जिसमें पाया गया कि जहां विवादित भूमि में भू-स्वामी के हक में घोषणा चाहने संबंधी वादी का वाद उसके हाजिर नहीं होने के कारण निरस्त कर दिया गया और वादी ने उक्त आदेश को अपास्त करने के लिए आदेश 9 नियम 9



सी.पी.सी. के अधीन विचारण न्यायालय में आवेदन पेश नहीं किया। उसका वाद आदेश 9 नियम 8 सी.पी.सी. के अधीन निरस्त किया जाना अंतिम स्वरूप का था और उसी वाद हेतुक पर उत्तरवर्ती वाद प्रतिबंधित था और उसी वाद हेतुक पर नया वाद दायर नहीं किया जा सकता। इसी संबंध में न्याय दृष्टांत सूरज रतन थिरानी विरुद्ध अजामाबाद टी कंपनी लिमिटेड ए.आई.आर. 1965 एस.सी.295 व न्याय दृष्टांत रामेश्वर विरुद्ध भगवानसिंह एवं अन्य 2014 (11) एम.पी. डब्ल्यू.एन. 33 पर भी निर्भर किया हैं। इस प्रकार दोनों ही मामलों में वादग्रस्त प्लॉट समान है, दोनों ही मामलों में स्वत्व घोषणा चाही गई है, दोनों मामलों में प्रतिवादी/अपीलार्थी जोगलाल प्रतिवादी के रूप में संयोजित हैं। ऐसी दशा में उक्त विवेचन के आधार पर यह पाया जाता है कि आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. के अधीन वर्तमान वाद बाधित हैं और आदेश 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों को आकर्षित नहीं होना मानने के आधार पर वाद विषय क्रमांक-6 का नकारात्मक निष्कर्ष देकर विद्वान विचारण न्यायालय ने गंभीर वैधानिक त्रुटि कारित की हैं।

#### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक:-2**

20- प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से तर्क किया गया है कि स्वत्व घोषणा हेतु वाद में वादी को अपना हक स्वयं प्रमाणित करना होगा और वह प्रतिवादी की कमजोरी का लाभ नहीं उठा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत युनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य विरुद्ध वासवी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड एवं अन्य ए.आई.आर. 2014 (सु.को.) 937 पर निर्भर किया हैं। प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी क्र.1, वादी का वादाधार दस्तावेज प्र.पी.-1 का ग्राम पंचायत नानपुर का भूमि स्वामी देने का अधिकार प्रमाण पत्र बताया गया है, जो दिनांक 28.04.1999 को जारी किया गया हैं और उसकी प्रीमियम प्र.पी.-2 की रसीद से दिनांक 22.05.1999 को जमा की जाती हैं।

21- म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 244 के अधीन ग्राम पंचायत या जहां कोई ग्राम पंचायत गठित नहीं की गई हो, वहां तहसीलदार द्वारा आबादी क्षेत्र के स्थानों का निपटारा किया जावेगा और ऐसा इस संबंध में बनाये गये नियमों के अध्याधीन रहते हुए किया जावेगा। धारा 244 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार भू-खण्ड प्राथमिकता के आधार पर आबंटित किया जावेगा और प्राथमिकता क्रम 1. आदिवासी जाति, 2. हरिजन, 3. भूमिहीन काश्तकारी मजदूर, 4. अन्य रहेगा। अपीलार्थीगण ने न्याय दृष्टांत हरिप्रसाद विरुद्ध राजस्व परिषद 1964 रा.नि. 282 (प्र.क.69) (उच्च न्यायालय) पर निर्भर किया है, जिसमें धारा 244 भू-राजस्व संहिता व नियम 14 व 17 के संबंध में अभिनिर्धारित किया गया हैं कि आबादी भूमि संहिता की धारा 244 के अधीन बने नियमों के अनुसार बांटी जानी चाहिए, उद्घोषणा जारी करना मात्र औपचारिक नहीं है, वह आवश्यक हैं, जब एक से अधिक आवेदक हो, तब स्थान की नीलामी करना चाहिए। यदि नियमों का पालन न किया जाता, तब भूमि बांटना अवैध होगा।

22- प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से अपने जवाब दावे में यह विशेष आपत्ति ली गई कि ग्राम पंचायत नानपुर को शासकीय भूमि को पट्टे पर देने का कोई अधिकार नहीं हैं तथा भूमिहीन व्यक्ति को ही पट्टा जारी किया जा सकता था, जिसका विज्ञप्ति व नीलामी भी होती। ऐसी दशा में वादी का यह दायित्व था कि वह प्रमाणित करता कि धारा 244 भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों व इसके अधीन बनाये गये नियमों का पालन करते हुए भूमि का पट्टा दिया गया था, जबकि वादी की ओर

से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई हैं। इस प्रकार यह पाया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद भूमि का वादी को स्वामी प्रमाणित पाकर त्रुटि कारित की हैं, अन्यथा भी स्वयं वादी के अनुसार वाद भूमि उसे ग्राम पंचायत नानपुर द्वारा पट्टे पर दी गई, ऐसी दशा में वादी वाद भूमि का स्वामी हो ही नहीं सकता था, बल्कि वह स्वयं को वाद भूमि का विधिवत पट्टाधारी सिद्ध कर सकता था और ऐसा करने में वादी असफल रहा।

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक:-3**

23— जहां तक वाद भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण किया जाना और प्रतिवादीगण को वादी को रिक्त आधिपत्य सौंपे जाने का आदेश दिये जाने का प्रश्न है, वाद भूमि पर वादी अपना स्वत्व प्रमाणित करने में असफल रहा है, ऐसी दशा में प्रतिवादीगण को वादी को रिक्त आधिपत्य सौंपने का आदेश भी त्रुटिपूर्ण हैं।

24— अस्तु उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण की यह अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, अलीराजपुर के व्यवहार वाद क्रमांक 25-ए/14 में पारित निर्णय व आज्ञाप्ति दिनांक 26.09.2015 अपास्त किया जाता है। वादी/प्रत्यर्थी क.1 अपने वाद व्यय के साथ-साथ अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण का वाद व्यय वहन करेगा। अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार आंका जावे।

स्थान:-अलीराजपुर

दिनांक:-26.08.2016

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)

जिला न्यायाधीश

अलीराजपुर(म.प्र.)